अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1.	महाविद्यालय का परिचय	2
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची	3
3.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (**NEP**) 2020 के प्रमुख प्रावधान	4
4.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (**NEP**) **2020** के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष हेतु पाठ्यक्रम संरचना	5
5	महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाने जाने वाले विषय समूह एवं कला / विज्ञान / वाणिज्य संकाय	6
6.	प्रवेश हेतु कक्षावार छात्र संख्या की सूची	7-8
7.	छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आचरण / संहिता	9-10
8.	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001	11
9.	सूचना का अधिकार	12
10.	रा.सेयो. / ग्रंथालय विभाग	13
11.	यूथ रेडक्रास, इग्नू	14
12.	पत्रिकारिता, खेलकूद	15
13.	प्रवेश नियम, परिचय पत्र	16
14.	शुल्क, नामांकन, संस्था छोड़ने हेतु नियम	17
15.	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संबंधी जानकारी	18
16.	शुल्क विवरण कक्षावार	19
17	छात्रवृत्ति	20
18.	महाविद्यालय में पदस्थ रहें प्राचार्यो की सूची	21
19.	सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रदत्त पुरुस्कारों की सूची	22

महाविद्यालय का परिचय

कोसा,कंचन ओर काँसा की नगरी चाम्पा में शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा संचालित हैं। चाम्पा शहर छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले का एक भाग है जो कि दक्षिण व मध्य रेल्वे के बिलासपुर हावड़ा रेल लाईन पर स्थित है। इनकी बसाहट हसदेव नदी के तट पर है। विदित हो इस महाविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1974 को हुई थी। इस महाविद्यालय का लक्ष्य छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध, रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है। इस तरह यह महाविद्यालय छात्रों के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है।

स्थापना काल से अब तक यह महाविद्यालय प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर है तथा इस सत्र 2025-26 में इस महाविद्यालय को छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रुप में उन्नयन किया गया है। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अधिनियम के तहत सेक्शन-2 एफ एवं 12 बी में पंजीकृत मान्यता प्राप्त तथा अनुदान प्राप्त संस्था है। विगत वर्षो में इसे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (**RUSA**) से आवंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 14 विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 11 विषय अध्ययन हेतु उपलब्ध है। यहाँ रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. कम्प्यूटर विज्ञान, समाज कार्य **(MSW)** पत्रकारिता, टसर टेक्नोलॉजी जैसे विषय भी संचालित है, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बैंगलुरु द्वारा इस महाविद्यालय का अब तक तीन बार सन् 2007, 2016 तथा 2022 में मूल्यांकन किया गया है और इस महाविद्यालय को ''बी'' ग्रेड प्राप्त हुआ है। विदित हो जांजगीर-चांपा जिले में यह एक मात्र ऐसा संस्थान है जिसे तीन बार 'नेक मूल्यांकन' का गौरव प्राप्त है। इस महाविद्यालय को समाजकार्य विभाग द्वारा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान **(TISS),** मुंबई से संबद्ध रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एड्स काउंसिलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के रुप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त हुई है।

यहां अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधि के रुप में इग्नू के अध्ययन केन्द्र के माध्यम से 32 विविध स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र/छात्राओं को अध्ययन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वहीं इस महाविद्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध बी.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम भी संचालित है। महाविद्यालय द्वारा युगांतर पत्रिका का प्रकाशन लगातार किया जा रहा है इस तरह विद्यार्थियों के शैक्षणिक, खेलकुद, सांस्कृतिक, साहित्यक, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे अन्य सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास के लिए इस महाविद्यालय में पर्याप्त अवसर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इसी सत्र 2025-26 में महाविद्यालय में एन.सी.सी. की यूनिट खुलने की प्रबल संभावना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (**NEP**) 2020 के प्रावधानों को वर्तमान सत्र 2024-25 से पूरे प्रदेश में लागू किये जाने पर स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। साथ ही तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम में अपने संकाय के विषय के साथ दूसरे संकाय के विषय का अध्ययन करने की सुविधा तथा कौशल विकास संबंधी विषय जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों से विद्यार्थियों का वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग के अनुरुप सर्वांगिण विकास संभव हो सकेगा।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.)

अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम
1	डॉ. एच.पी. खैरवार	प्राचार्य
2	डॉ. एस.पी. भारद्वाज	प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
3	डॉ. बी.आर. महिपाल	प्राध्यापक, हिन्दी
4	डॉ. के.आर. जाटवर	प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र
5	डॉ. व्ही.एम. दांडेकर	सहा0प्राध्यापक, वाणिज्य
6	डॉ. व्ही.के. शर्मा	सहा0प्राध्यापक, वाणिज्य
7	डॉ. एल.पी. मिरी	सहा0प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र
8	डॉ. डी.एन. बंजारे	सहा0प्राध्यापक, इतिहास
9	डॉ. सुनीता राठौर	सहा0प्राध्यापक, हिन्दी
10	डॉ. मीनाक्षी चन्द्रा	सहा0प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र
11	डॉ. नीलिमा पाण्डेय	सहा0प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र
12	कु0 अनुराधा राठौर	सहा0प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र
13	श्री विवेक जायसवाल	सहा0प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र
14	श्री मनोज कुमार हंसराज	सहा0प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र
क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री जे.के. दीवान	छात्रावास अधीक्षक
2	श्री संतोष कुमार तिवारी	सहायक ग्रेड 01
3	श्री रामस्वरूप कैवर्त्य	सहायक ग्रेड 02
4	श्री सेवाराम बरेठ	सहायक ग्रेड 03
5	श्री रंजीत सिंह	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
6	श्री एच.पी. पैकरा	प्रयोगशाला तकनीशियन
7	श्रीमती विमला मिंज	प्रयोगशाला तकनीशियन
8	श्री एस.के. इजारदार	प्रयोगशाला तकनीशियन
9	श्रीमती आशा उरांव	प्रयोगशाला तकनीशियन
10	श्री सुमन लाल	प्रयोगशाला परिचारक
11	श्री विमल कुमार शर्मा	प्रयोगशाला परिचारक
12	श्रीमती सरिता बाई	भृत्य
13	श्री विजय बघेल	स्वीपर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रमुख प्रावधान

सत्र 2024-25 से सभी स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू
वर्तमान सत्र 2025-26 से सभी स्नातक द्वितीय वर्ष के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होगा

- तीन वर्षीय / चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम।
- प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर परीक्षाएं।
- प्रत्येक सेमेस्टर में 90 दिन अथवा 15 सप्ताह का अध्ययन आवश्यक।
- प्रत्येक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम 20 क्रेडिट में विभाजित।
- प्रत्येक क्रेडिट का तात्पर्य 15 घंटे (प्रति सप्ताह 1 घंटा) का क्लासरुम अध्ययन।
- प्रायोगिक विषयों / फिल्ड वर्क में प्रत्येक क्रेडिट का तात्पर्य 30 घंटे (प्रति सप्ताह 2 घंटा)।
- प्रत्येक सेमेस्टर के मूल्यांकन में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन तथा 70 प्रतिशत बाह्य परीक्षा।
- उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक की आवश्यकता।
- परीक्षा परिणाम में प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का समावेश।
- एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने के पश्चात् अध्ययन से पृथक होकर पुनः बाद में अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने की पात्रता।
- कला / वाणिज्य / विज्ञान (बायो / गणित) संकायों के तीन विषयों के साथ अन्य संकाय के प्रति सेमेस्टर एक विषय चयन की सुविधा। साथ ही अपने संकाय के विशेष विषय का अतिरिक्त अध्ययन एवं कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रमों का समावेश।
- प्रथम तीन सेमेस्टरों में प्रति सेमेस्टर अंग्रेजी / हिन्दी भाषा / पर्यावरण अध्ययन में से क्रमशः एक-एक विषय चयन करने की आवश्यकता ।
- तीन वर्ष (6 सेमेस्टर) उत्तीर्ण करने पर स्नातक की उपाधि तथा 4 वर्ष (8 सेमेस्टर) उत्तीर्ण करने पर स्नातक (आनर्स) एवं स्नातक (आनर्स एवं रिसर्च) की उपाधि।
- 1 वर्ष (2 सेमेस्टर) उत्तीर्ण कर अध्ययन से पृथक हो जाने पर सर्टिफिकेट की पात्रता।
- 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) उत्तीर्ण कर अध्ययन से पृथक हो जाने पर डिप्लोमा की पात्रता।
- (**ABC**) एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट के रुप में विद्यार्थी का प्रतिवर्ष अर्जित क्रेडिट अंक डिजिटल रुप में स्टोर होगा।
- स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए भी प्रत्येक सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति अनिवार्य होगी।

GOVT. M.M.R. POST GRADUATE COLLEGE,CHAMPA

DISTRICT – JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

ACCORDING TO NORMS OF NEP 2020

1st Year CCFUP FOR B.Sc. (MATH. & LIFE Sc.) AND B.A.

Sem.	DSC (4C) A/B/C	DSE	GE (4C)	AEC (2C)	VAC/SEC (2C)	Credits
I	DSC A 1-(4C)	XX	GE – 01 (4C) From the Pool	AEC – 01 (2C) From the Pool (Evs/Eng/Hn)	VAC – 01 (2C) From the Pool	20 Credits
	DSC B 1-(4C)					
	DSC C 1-(4C)					
II	DSC A 2-(4C)	XX	GE – 02 (4C) From the Pool	AEC – 02 (2C) From the Pool (Evs/Eng/Hn)	SEC – 01 (2C) From the Pool	20 Credits
	DSC B 2-(4C)					
	DSC C 2-(4C)					
Total Credits						40 Credits

Full Forms :-

1. DSC - DISCIPLINE SPECIFIC CORE
2. DSE - DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE
3. GE - GENERIC ELECTIVE
4. AEC - ABILITY ENHANCEMENT COURSE
5. VAC - VALUE ADDITION COURSE
6. SEC - SKILL ENHANCEMENT COURSE

2nd Year CCFUP for B. Sc. (Math. & Life Sc.) and B. A.

Sem.	DSC (4C) A/B/C	DSE / GE (4C)	AEC (2C)	SEC / VAC (2C)	Credits
III	DSC A 3-(4C) DSC B 3-(4C) DSC C 3-(4C)	DSE-01 of A/B/C (4C) OR GE-03 (4C) From the pool	AEC-03 (2C) From the Pool (Evs/Eng/Hin)	VAC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
IV	DSC A 4-(4C) DSC B 4-(4C) DSC C 4-(4C)	DSE-02 of A/B/C(4C) OR GE-04 (4C) From the pool	AEC-04 (2C) Communicative Language /English	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificate after securing requisite 84 credits *[Extra 4 credits of Voc/Skill course have to be earned from any recognised platform]*					80 Credits

3rd Year CCFUP FOR B. SC. (MATH. & LIFE SC.) AND B. A.

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE /GE (4C)	SEC(2C)	VAC/Intern (2C)	Credits
V	DSC A 5 -(4C) DSC B 5 -(4C) DSC C 5 -(4C)	DSE-03 of A/B/C (4C) OR GE-05 (4C) From the pool	SEC-03 (2C) From the Pool	VAC-03 (2c) From the Pool	20 Credits
VI	DSC A 6 -(4C) DSC B 6 -(4C) DSC C 6-(4C)	DSE-04 of A/B/C (4C) OR GE-06 (4C) From the pool	SEC-04 (2C) From the Pool	Internship (2C)	20 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor's Degree					120 Credits

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय
(COURSES OFFERED AT GRADUATE LEVEL WITH SUBJECT GROUP & FACULTY)

बी.ए. / बी.एससी (बायो / गणित) / बी.कॉम. स्नातक प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप पाठ्यक्रम संरचना होगी, जिसमें सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू है। जो कि वर्तमान सत्र 2025-26 में द्वितीय वर्ष में लागू होगी तथा अगले सत्रों में तृतीय / चतुर्थ वर्षो में भी निरंतरता के साथ प्रभावशील होगी।

कला संकाय

बी.ए. तृतीय वर्ष (पुरानी वार्षिक परीक्षा पद्धति प्रणाली)

- पिछले वर्ष बी.ए. प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष में जिन विषयों का चयन कर अध्ययन किये है, वही विषय तृतीय वर्ष में भी अध्ययन करेंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नही होगी।

अ. **अनिवार्य विषय** - आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. **ऐच्छिक विषय** - निम्नांकित उपलब्ध विषयों में से किन्ही तीन विषयों का जिनका अध्ययन पूर्व वर्षो में किया गया है।

1. समाजशास्त्र	2. अर्थशास्त्र	3. राजनीति शास्त्र
4. इतिहास	5. हिन्दी साहित्य	6. अंग्रेजी साहित्य

विज्ञान संकाय

बी.एस-सी. तृतीय वर्ष (बायो / गणित) (पुरानी वार्षिक परीक्षा पद्धति प्रणाली)

अ. **अनिवार्य विषय**
1. आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
2. पर्यावरण अध्ययन

ब. **निम्नलिखित विषय समूहों में से कोई एक समूह जिनका पूर्व वर्षो में अध्ययन किया गया है।**
1. भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित
2. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र,गणित
3. रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, टसर टेक्नॉलॉजी
4. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र

वाणिज्य संकाय

बी. कॉम. तृतीय वर्ष (पुरानी वार्षिक परीक्षा पद्धति प्रणाली)

अ. अनिवार्य विषय — 1. आधार पाठ्यक्रम- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब अनिवार्य समूह	- वैकल्पिक
1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)	1. विपणन के सिद्धांत
2. अप्रत्यक्षकर	2. अंतर्राष्ट्रीय विपणन
3. प्रबंधकीय	
4. अंकेक्षण	

प्रवेश हेतु कक्षावार छात्रों की सूची 2025-26

क्र.	वि.वि.द्वारा स्वीकृत कक्षा	वि.वि.द्वारा स्वीकृत विषय	वि.वि. द्वारा स्वीकृत सीट संख्या
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर प्रणाली)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरुप	300
2.	बी.ए. तृतीय वर्ष	आधार पाठ्यक्रम-हिन्दी / अंग्रेजी भाषा राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र,इतिहास समाजशास्त्र,हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य	300
3	बी.एस-सी. प्रथम / द्वितीय वर्ष (बायो / गणित) (सेमेस्टर प्रणाली)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरुप	440
4	बी.एस-सी. तृतीय वर्ष (बायो / गणित)	1. आ.पा. (हिन्दी / अंग्रेजी भाषा) 2. प्राणीशास्त्र 3. वनस्पति शास्त्र 4. रसायन शास्त्र 5. टसर टेक्नोलॉजी - 6. गणित 7. भौतिक शास्त्र 8. कम्प्यूटर साईस -	200 (प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र) 60 (टसर टेक्नोलॉजी) 100 (गणित, भौतिक शास्त्र) 80 (कम्प्यूटर साईस) कुल 440
5.	बी.कॉम. प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर प्रणाली)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरुप	150
6	बी.कॉम. तृतीय वर्ष अ. अनिवार्य विषय ब अनिवार्य समूह वैकल्पिक	 आधार पाठ्यक्रम-हिन्दी / अंग्रेजी भाषा 1. आयकर (प्रत्यक्ष कर) 2. अप्रत्यक्षकर 3. प्रबंधकीय 4. अंकेक्षण 1. विपणन के सिद्धांत 2. अंतर्राष्ट्रीय विपणन	150

7.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	समाजशास्त्र	60
8.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	इतिहास	40
9.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	अंग्रेजी	40
10.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	राजनीति शास्त्र	60
11.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	अर्थशास्त्र	40
12.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	हिन्दी	40
13	एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	एम.एस.डब्ल्यू.	50
14	एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	रसायन शास्त्र	40
15	एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	गणित	50
16	एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	वनस्पति शास्त्र	40
17	एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	भौतिक शास्त्र	30
18	एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर / तृतीय सेमेस्टर	प्राणी शास्त्र	30
19	एम.कॉम. प्रथम / तृतीय सेमेस्टर	सभी अनिवार्य विषय	60
20	पी.जी.डी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	80
21	डी.सी.ए.	सभी अनिवार्य विषय	30

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के हेतु आचरण/संहिता

सामान्य नियम-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है वह सरल निर्व्यसन और मितव्यायी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सक्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक या अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग गैर शैक्षणिक कार्य के लिए पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्ण करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखो, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि को तोड़फोड करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा पूर्व परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र-

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जावेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जावेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप से यह अधिनियमित हो, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिशेध अधिनियम, 2001 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''रैगिंग'' से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य व मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रतिरत करना आपराधिक दोषपूर्ण अवरोध, परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

(ख) ''शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

3. रैगिंग प्रतिशेध-

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग से भाग नही लेगा।

4. दण्ड-

यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नही होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

6. अपराधों का विचारण-

(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।

7. छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता-

(1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था को कोई छात्र जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) ऐसे छात्र जो निष्कासित किया गया है जो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,चांपा (छ.ग.)

Ph-07819-201262, email : gpgc_cph@yahoo.com

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,चांपा
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्र.	संस्था का नाम	जन सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी (धारा -19)
1.	शास.एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,चाम्पा	डॉ. व्ही.के.शर्मा	डॉ. एस.पी. भारद्वाज

इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है।

1.	अभिलेख प्रस्तुत करने का दिन / समय	सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन कार्यालयीन समय में।
2.	सूचना प्राप्त हेतु आवेदन	आवेदन-पत्र दस रुपये का नगद समुचित रसीद सहित अथवा चालान की प्रति द्वारा जो लोक अधिकारी के नाम से देय हो, मुख्य शीर्ष 0070, उप मुख्य शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों के नाम जमा करना होगा।
3.	सूचना उपलब्ध कराने का	निम्नानुसार मूल्य नगद समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0070, उपमुख्य शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम से देय हो जमा करना होगा। (क) प्रत्येक ए-4 आकार या ए-3 आकार के कागज के लिए दो रुपये प्रत्येक पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। (ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य। (ग) नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य कर 50% (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घण्टे के लिए और उसके पश्चात् के प्रत्येक 15 मिनट (या उसके भाग) के 5/- रुपये का शुल्क (ड) सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी.डी./फ्लापी एवं मुद्रित फार्म में सूचना के लिए नियत कीमत।
4.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त करने के अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी
5.	आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होने पर	अपीलीय अधिकारी

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद विभाग छ.ग. सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं चरित्र के विकास तथा उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के उन्नयन के लिये संचालित की जाती है। चांपा महाविद्यालय में सत्र 1982 से यह योजना लागू है। वर्तमान में आबंटित छात्र संख्या 100 है। प्रवेश योग्यतानुसार दिया जावेगा। कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा पर रासेयो सलाहकार समिति व प्राचर्य का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना से व्यक्तिगत रुप से संपर्क करें।

ग्रंथालय विभाग

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय हैं वर्तमान में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा स्तर की क्रमशः कुल 40601 पुस्तकें उपलब्ध हैं ग्रंथालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं शोध-पत्रिका मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक-बैंक योजना है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिन्हें परीक्षा उपरांत वापस लिया जाता हैं सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. महाविद्यालय में निर्धारित सुरक्षा निधि जमा करने पर प्रत्येक विद्यार्थी नियमानुसार ग्रंथालय का सदस्य बन जाता हैं
2. पुस्कालय में पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रंथालय के नियंत्रण में रहता है जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।
3. ग्रंथालय में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के पठन की सुविधा है।
4. ग्रंथालय में महाविद्यालय में समस्त छात्र/छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तक निर्गमित की जावेगी।
5. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक आदि 15 दिनों के बाद न लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1.00 के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रुप से करना होगा।

यूथ रेडक्रास सोसायटी

यूथ रेडक्रास सोसायटी इण्डियन सोसायटी की एक शाखा है। 18 वर्ष से 35 वर्ष तक आयु के नियमित छात्र-छात्राएं एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक इसके सदस्य हो सकते हैं इस महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास यूनिट, इंडियन रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा से पंजीकृत है। इस यूनिट का पंजीयन क्र. 06 जां-चां/03 है। प्रत्येक छात्र-छात्राओं के लिए यूथ रेडक्रास का वार्षिक सदस्य शुल्क 25/- हैं जिलाध्यक्ष और मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में यूथ रेडक्रास यूनिट द्वारा जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किये जायेंगे।

जन स्वास्थ्य, गंदी बस्तियों की साफ सफाई, रोगी कल्याण एवं असहायों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण-संवर्धन तथा प्रदूषण निवारण, प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना आदि के कारण निर्मित आपातिक स्थितियों के लिए तात्कालिन सहायता यूथ रेडक्रास के सदस्यों के कर्तव्य है। साथ ही मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानवतावादी उत्तरदायित्यों का निर्वहन करते हुए विश्व भातृत्व की भावना को बढ़ाने के लिए कार्य करना यूथ रेडक्रास का महत्वपूर्ण कार्य है।

यूथ रेडक्रास यूनिट महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवाभाव जागृत करने, रोगियों, पीड़ितों अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदन-शीलता बढ़ाने, कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा विश्व भातृत्व की भावना जागृत करने हेतु कार्य करती है। विभिन्न वर्षो में इनके तहत रक्तदान, भाषण, निबंध, लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया है।

IGNOU अध्ययन केन्द्र - 3507

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा में इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय (मुक्त) विश्वविद्यालय नई दिल्ली इस का अध्ययन केन्द्र संचालित हैं इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम सहित कुल 32 कार्यक्रम जिनमें स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे **MBA, MCA, BTS, DNHE, DAFE, DMCH, BPS, PGDRD, PGDESM, CDM, CES, CIS, CTE** आदि पाठ्यक्रम के साथ अन्य पाठ्यक्रम जैसे **B.A., B.Com.,B.Sc., M.A. (HINDI), M.A. (ENGLISH) BPP** के पाठ्यक्रम अध्ययन केन्द्र में संचालित है।

वर्तमान में समन्वयक डॉ. व्ही.के. शर्मा तथा सहायक समन्वयक डॉ. रंजना नाथ कार्यरत है। अध्ययन केन्द्र में समय-समय पर काउंसेलिंग, इण्डक्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन होता है। जिसमें शिक्षार्थी उपस्थित होकर पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। इग्नू द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन अध्यापन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होता है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर जिले एवं दूर-दराज के शिक्षार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग वि.वि. रायपुर के अंतर्गत बी.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग वि.वि. रायपुर के अंतर्गत त्रिवर्षीय (छः सेमेस्टर) स्नातक पाठ्यक्रम बी.जे.एम.सी. (बेचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मॉस कम्प्यूनिकेशन) संचालित हैं इस पाठ्यक्रम हेतु कुल 25 सीटें हैं इस पाठ्यक्रम में प्रति सेमेस्टर 1500/- शिक्षण शुल्क देय होगा। इस पाठ्यक्रम के प्रभारी प्राध्यापक डॉ. व्ही.एम. दाण्डेकर तथा कार्यालयीन सहायक श्री एस.के.सूर्यवंशी है।

खेलकूद

खेल जन्म से मृत्यु पर्यन्त सतत चलने वाली प्रक्रिया हैं। खेल मनोरंजन के साथ-साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। खेल से शारीरिक,मानसिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्ष मजबूत होता है। शारीरिक उपलब्धि के रुप में खेल से पुष्ठ शरीर बनता है, जिसमें उल्लास, एकाग्रता एवं आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आर्थिक उपलब्धि के रुप में हम अपने खेल के श्रम का पुरस्कार पाते है। सांस्कृतिक उपलब्धि के रुप में हम सामाजिक जीवन बोध, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं संगठन जैसे बहुमूल्य मानव मूल्यों के स्वामी बनते हैं

इस महाविद्यालय का खेलकूद के क्षेत्र में विशेष स्थान है, महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ा अधिकारी के कुशल निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख रुप से फुटबाल, व्हॉलीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो, एथलेटिक्स, शतरंज, टेबल टेनिस इत्यादि खेल शैक्षणिक सत्र में सम्पन्न कराये जाते हैं।

इस महाविद्यालय द्वारा खेल-कूद में अगले स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों को संपूर्ण कीट्स निःशुल्क प्रदान किया जाता है। छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार संपूर्ण शारीरिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार संपूर्ण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित होता है इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ''हेल्थ सेन्टर'' उपलब्ध करायी गयी है। इस महाविद्यालय में 16 स्टेशनरी मल्टीजीम संचालित हैं जो इस महाविद्यालय के लिए एक उपलब्धि हैं यहां योगा/प्राणायाम का अभ्यास प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा सिखाया जाता हैं विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी छात्र को महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

"The weaker the body, the more it commands,
The stronger it is better is obeys"

प्रवेश नियम (Admission Rules) -

1. जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग / विश्व-विद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की तिथि घोषित की जाती है, तब आन लाईन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन की एक सीमा (अंतिम तिथि) रहती है।
2. प्रवेश चयन हो जाने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

A) मूल स्थानान्तरण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र।
B) अंकसूची की स्वयं द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।
C) प्रवजन प्रमाण पत्र **(Migration Certificate)**
D) पात्रता प्रमाण पत्र (अन्य राज्य से आये छात्रों के लिए)
E) पासपोर्ट आकार के दो फोटो
F) जाति प्रमाण-पत्र केवल अनु.जाति / अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / समक्ष अधिकारी द्वारा जारी)

परिचय-पत्र (Indentity Card)-

1. परिचय-पत्र महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं के लिए अनिवार्य हैं महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र / छात्रा को परिचय-पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन-पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश-पत्र के साथ परिचय-पत्र भी प्राप्त हो सके।
3. परिचय-पत्र को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय में किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय-पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय-पत्र खो जाने पर 20 / - रुपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय-पत्र, शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

शुल्क विनियम-

1. एक बार कोई शुल्क जमा हो जाने के बाद वह किसी भी प्रकार से वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं उसी दिन महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की अवधान राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरुप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य राशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगी।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।
6. महाविद्यालय में समस्त शुल्क ऑनलाईन माध्यम से ए.टी.एम. के द्वारा ही भुगतान करना अनिवार्य होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम-

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

अ. संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।

ब. समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

स. उक्त संपूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

द. महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

च. निःशेष प्रमाण-पत्र **(No Dues Certificate)** प्रस्तुत करना होगा।

छ. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 20/- रुपये जमा करना होगा।

ज. अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन (नवीन छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन-पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,चांपा

जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संबंधी जानकारी

क्र.	कार्यालय/निकाय अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदान की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
	शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	सभी प्रकार के रिफंड	10 दिन का भुगतान	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		ब. छात्रवृत्ति का भुगतान	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		पुस्तकों का प्रदाय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		परिचय पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		मार्कशीट चरित्र प्रमाण	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

टीप- शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा में

1. पदाभिहित अधिकारी – डॉ. एच.पी. खैरवार पद – प्राचार्य
2. प्राधिकृत अधिकारी – डॉ. व्ही.के. शर्मा, सहा. प्राध्यापक
3. प्राधिकृत कर्मचारी – श्री एस.के.तिवारी, कार्यालय प्रभारी

कार्यालय प्राचार्य, शास. एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा (छ.ग.)

शुल्क विवरण–कक्षावार

सत्र – 2026–27

कक्षा का नाम	शुल्क राशि	
	छात्रा/अजा/अजजा	छात्र
बी.ए./बी.कॉम. (समस्त विषय) प्रथम वर्ष	5+737+350 = 1092	120+737+350 = 1207
बी.ए./बी.कॉम. (समस्त विषय) द्वितीय/तृतीय वर्ष	5+677+350 = 1032	120+677+350 = 1147
बी.एस.सी./डी.सी.ए. (समस्त विषय) प्रथम वर्ष	25+737+350 = 1112	160+737+350 = 1247
बी.एस.सी. (समस्त विषय) द्वितीय/तृतीय वर्ष	25+677+350 = 1052	160+677+350 = 1187
एम.एस.डब्ल्यू/एम.ए./एम.कॉम. (प्रथम सेमेस्टर) समस्त विषय	5+797+400 = 1202	149+797+400 = 1346
एम.एस.डब्ल्यू/एम.ए./एम.कॉम. (तृतीय सेमेस्टर) समस्त विषय	5+697+400 = 1102	149+697+400 = 1246
पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.सी. (प्रथम सेमेस्टर) समस्त विषय	25+797+400 = 1222	169+797+400 = 1366
एम.एस.सी. (तृतीय सेमेस्टर) समस्त विषय	25+697+400 = 1122	169+697+400 = 1266

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नांकित कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

एम.एस.सी. (गणित), एम.ए. (अंग्रेजी)	4000.00
एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र एवं भौतिकशास्त्र	6000.00
एम.एस.डब्ल्यू, एम.एस.सी. (रसायन), पी.जी.डी.सी.ए.	8000.00
बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	4500.00
बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस) (आई.टी.)	4500.00
डी.सी.ए.	3500.00
बी.ए.जे.एम.सी.	1500.00

महाविद्यालय द्वारा शासन की सहयोग से मिलने वाली छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में नियमित प्रदेश प्राप्त छात्र / छात्राओं (75% या उससे अधिक उपस्थिति) को दो प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलती है।

1. **राज्य छात्रवृत्ति -**

''छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त'' (यह पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति कहलाती है।) अनु.जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को यह छात्रवृत्ति मिलती है।

2. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ''भारत सरकार द्वारा प्रदत्त''-**

अ. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति।

ब. गरीबी रेखा के पीछे रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए बी.पी.एल. छात्रवृत्ति।

स. मेरिट छात्रवृत्ति।

सत्र् 2025-26 में स्वीकृत छात्रवृत्ति

वर्ग	कुल	कुल स्वीकृत राशि (रुपये)
अनु.जाति	409	2324638.00
अनु.जनजाति	237	1660115.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	1418	4680423.00

छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों से सम्पर्क करें।

1. अनुजाति संबंधी - श्रीमती आशा उरांव
2. अनु.जनजाति संबंधी - श्री एच.पी. पैकरा
3. अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी - श्री रंजीत कुमार सिंह

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्राचार्यों की सूची

क्र.	नाम	अवधि
1.	श्री. एस.एस. कृष्णमूर्ति	जुलाई 1974 से जुलाई 1978
2.	डॉ. व्ही.बी. पाण्डेय	जुलाई 1978 से, जुलाई 1979
3.	श्री एस.पी. वर्मा	सितम्बर 1979 से अक्टूबर 1979
4.	डॉ. एम.एल. शुक्ला	नवम्बर 1979 से जून 1980
5.	डॉ. जे.एस. सक्सेना	अगस्त 1980 से जून 1981
6.	श्री आर.पी. उपाध्याय	अप्रेल 1981 से जून 1985
7.	श्री आर. पाण्डेय	नवम्बर 1985 से जून 1990
8.	श्री एस.जी. गोरे	सितम्बर 1991 से अप्रैल 1994
9.	श्री ए.एल. शाह	जुलाई 1994 से अप्रैल 1996
10.	श्री एम.एल.अरोरा	दिसम्बर 1996 से जून 2000
11.	डॉ. एम.एल.सोनार	जुलाई 2000 से अक्टूबर 2005
12.	डॉ. एस.डी.झा	अक्टूबर 2005 से जुलाई 2007
13.	डॉ. वाई.एन.झा	अगस्त 2012 से जुलाई 2016
14.	डॉ. एच.पी. खैरवार	जून 2018 से मार्च 2021
15.	डॉ. एच.एस.कर	मार्च 2021 से जून 2022
16.	डॉ. एच.पी. खैरवार	जुलाई 2025 से ....

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा जिला :– जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) विभिन्न कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत पुरस्कार योजनाएं				
क्र	**प्रदान करने वाले का नाम**	**स्मृति मे**	**कक्षा का नाम**	**प्रारंभ वर्ष**
1	श्री अखिलेश कोमल पाण्डेय	स्व. कोमल प्रसाद पाण्डेय	एम.ए.समाजशास्त्र	2005
2	डॉ बी.डी. दीवान	स्व. रघुनाथ धर दीवान	एम.एस.सी. रसायन	2018
3	डॉ भारती शर्मा	स्व. श्याम शर्मा	सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी	2018
4	डॉ एच.पी. खैरवार	स्व. विनिता खैरवार	एम.ए.राजनीतिशास्त्र	2021
5	डॉ यु.एस.कुर्रे	स्व. शाश्वत कुर्रे	एम.ए.अर्थशास्त्र	2022
6	डॉ एच.एस. कर	स्व. अपर्णा धीरेंद्र कर	बी.एस.सी.	2022
7	डॉ एस.पी.भारद्वाज	स्व. सीता देवी भारद्वाज	बी.ए.	2022
8	श्री मनोज मित्तल	स्व. श्याम लाल मित्तल	एम.कॉम	2022
9	डॉ त्रिवेणी भुपेंद्र कुमार पटेल	स्व. मालती देवी पुन्नी लाल पटेल	एम.ए. अंग्रेजी	2022
10	श्री विजय सोनी	विजय सोनी मंगलम ज्वेलर्स चाम्पा	एम–एससी. गणित	2022
11	श्री बजरंग अग्रवाल	स्व. प्रेमलता अग्रवाल	एम.एस.सी.भौतिक	2022
12	श्री आशीष पाण्डेय	स्व. आशीष पाण्डेय	एम–एससी.वनस्पति	2022
13	श्री कैलाशचन्द्र/राजेश कुमार	स्व. बुगीदेवी अग्रवाल	बी.कॉम.	2022
14	श्री शशिकांत राठौर	स्व. बुधराम राठौर	एम–एससी.भौतिक	2022
15	डॉ नीतेश अग्रवाल	–	एम.कॉम प्रथम वर्ष सेमेस्टर (I/II)	2022
16	श्री विनयधर दीवान	स्व.कमला देवी दीवान	एम–एससी प्रथम वर्ष रसायन शास्त्र सेमेस्टर (I/II)	2023
17	डॉ रंजना नाथ	स्व.लीना नाथ	एम–एससी. प्राणीशास्त्र	2023
18	श्री नागेन्द्र/संदीप गुप्ता	स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता नंदा बुक डिपो चांपा	एम.ए. हिन्दी साहित्य	2024
19	मोहनधर दीवान	स्व.सुमित्रा देवी	बी.एस.सी. सेमेस्टर (I/II)	2024
20	डॉ. संतोष अग्रवाल एण्ड संस	स्व.श्रीमती शांति देवी एवं स्व.जमुनाधर अग्रवाल	महाविद्यालय टॉपर	2025
21	श्री व्ही.के. शर्मा	स्व.जे.पी. शर्मा	एम.कॉम प्रथम वर्ष सेमेस्टर (I/II)	2025
22	श्री मोहनधर दीवान	स्व.रामेश्वर दीवान	एम–एससी प्रथम वर्ष रसायन शास्त्र सेमेस्टर (I/II)	2025